संख्या- 51 /2026/ I/1281535 /2026/तीस-3-2026-1774083

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2026

विषयः- उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन में सिविल एवं इण्टीरियर कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36ज0प0/2026/05प्रा0वि0/025, दिनांक 03-02-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में स्थित कार्यालय में उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराये पर लिये गये भवन में सिविल एवं इण्टीरियर कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन में सिविल एवं इण्टीरियर कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत लागत आगणन रू0 1159.60 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 **1074.48** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 **355.31816** लाख (रू0 तीन करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार आठ सौ सोलह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम (रू0 लाख में)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मुल्यांकित लागत/ प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन में सिविल एवं इण्टीरियर कार्य।	**1159.60** उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ	**1074.48**	**355.31816**
			योग -	**355.31816 लाख** (रू0 तीन करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		आठ सौ सोलह मात्र)

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u> -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(9) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(10) प्रायोजना रेनोवेशन / इंटीरियर से सम्बन्धित है। अतः आयुक्त, परिवहन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक स्तर का एक सदस्य सम्मिलित हो। इसी समिति की देख-रेख व मार्गदर्शन में रेनोवेशन / इंटीरियर के कार्यों को कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाये।

(11) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021 / फाइल नं0-65-2013/2/ 2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाग / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021- 10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(13) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें, ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर (रू0 163.76 लाख) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा इस कार्यमद की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

(18) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष- 3055-सड़क परिवहन -800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-42-अन्य व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-9- 482 -दस-2025-26, दिनांक 26 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 51 /2026/ **I/1281535 /2026** (1)/तीस-3-2026-1774083, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in